रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग 4—खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 5 मई, 1978

वैशाख 15, 1900 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

पंचायती राज अनुभाग-1

संख्या 1693-क/33-1-121-72

लखनऊ, 5 मई, 1978

अधिसूचना

प्रकीर्ण

प० आ०—226

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश, पंचायत सेवक सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:—

उत्तर प्रदेश पंचायत सेवक सेवा नियमावली, 1978

भाग एक—सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह नियमावली "उत्तर प्रदेश पंचायत सेवक सेवा नियमावली, 1978" कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति

2—उत्तर प्रदेश पंचायत सेवक सेवा अराजपत्रित सेवा है, जिसमें समूह 'घ' के पद सम्मिलित हैं।

परिभाषाएं

3—जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में—

(क) 'नियुक्ति प्राधिकारी' का तात्पर्य जिला पंचायत राज अधिकारी से है;

(ख) 'भारत का नागरिक' का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो संविधान के भाग 2 के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाये;

(ग) 'संविधान' का तात्पर्य भारत के संविधान से है;

(घ) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है;

(ङ) 'राज्यपाल' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;

(च) 'सेवा का सदस्य' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली के या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्ति व्यक्ति से है;

(छ) 'सेवा' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश पंचायत सेवक सेवा से है ।

भाग दो–संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4—(1) सेवा की सदस्य संख्या उतनी होगी जितनी राज्यपाल द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाये ।

(2) सेवा की सदस्य संख्या जब तक कि उप नियम (1) के अधीन उसमें परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें 8, 792 होगी, परन्तु—

(1) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकते हैं या राज्यपाल प्रास्थगित रख सकते हैं,

(2) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें ।

भाग तीन–भर्ती

भर्ती का श्रोत

5—सेवा में भर्ती नियम 15 में निर्धारित रीति से सीधे की जायेगी ।

आरक्षण

6—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य प्रवर्गों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार किया जायगा ।

टिप्पणी—इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों की प्रतियां परिशिष्ट 'क' में दी गयी हैं ।

भाग–चार–अर्हताएं

राष्ट्रिकता

7—सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी—

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से 1 जनवरी, 1962 से पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थाई रूप से निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या कीनियां, उगाण्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तंजानियां (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रव्रजन किया हो :

परन्तु उपर्युक्त प्रवर्ग (ख) या (ग) का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो,

परन्तु यह और कि प्रवर्ग (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, गुप्तचर शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें :

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त प्रवर्ग (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिये जारी नहीं किया जायगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में तभी रखा जा सकेगा जबकि उसने भारतीय नागरिकता प्राप्त कर ली हो ।

टिप्पणी—ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इंकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकेगा और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकेगा कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाये या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाये ।

शैक्षिक अर्हतायें

8—पंचायत सेवक के पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने माध्यमिक शिक्षा परिषद् की इन्टरमीडिएट परीक्षा या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो ।

अधिमानी अर्हता

9—ऐसे अभ्यर्थी को—

(1) जिसने प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या

(2) जिसने राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो,

(3) जिसकी ग्रामीण पृष्ठ-भूमि हो,

अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामलों में अधिमान दिया जायेगा ।

आयु

10—भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु जिस वर्ष भर्ती की जानी हो, उस वर्ष की पहली जनवरी को, यदि पद पहली जनवरी से 30 जून की अवधि में विज्ञापित किये जायें और पहली जुलाई को, यदि पद पहली जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि में विज्ञापित किये जायें, 18 वर्ष की हो जानी चाहिये और 27 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये :

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायें, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाये ।

टिप्पणी:—आयु के शिथिलीकरण के सम्बन्ध में शासनादेशों की प्रतियां परिशिष्ट 'ख' में दी गयी है ।

11—सेवा में सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये कि वह सरकारी सेवा में नियोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके । नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा । चरित्र

टिप्पणी:—संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे । नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध व्यक्ति भी पात्र न होंगे ।

12—सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होंगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो : वैवाहिक प्रास्थिति

परन्तु राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं, यदि उनका समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान है ।

13—किसी भी अभ्यर्थी को किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षता पूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो । किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायगी कि वह मौलिक नियम 10 के अधीन बनाये गये और वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 2 भाग 2 से 4 के अध्याय 3 में दिये गये नियमों के अनुसार स्वस्थ्यता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें । शारीरिक स्वस्थ्यता

भाग पांच—भर्ती की प्रक्रिया

14—नियुक्त प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य प्रवर्गों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा, और उसकी सूचना सेवायोजन कार्यालय को देगा । रिक्तियों का अवधारण

15—(1) चयन के लिये विचारार्थ आवेदन-पत्र विहित प्रपत्र में दिये जायेंगे । भर्ती की प्रक्रिया

(2) सभी पदों के लिये अभ्यर्थियों का चयन राज्य के प्रत्येक जिले के मुख्यालय पर एक चयन समिति द्वारा किया जायगा जिसमें निम्नलिखित होंगे—

(क) अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (विकास)/जिला विकास अधिकारी,

(ख) जिला परिषद् का कोई अधिकारी या सदस्य,

(ग) जिला पंचायत राज अधिकारी ।

टिप्पणी—समिति का अध्यक्ष अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (विकास)/जिला विकास अधिकारी होगा । जिला पंचायत राज अधिकारी समिति का सचिव होगा ।

(3) चयन समिति आवेदन पत्रों की समीक्षा करेगा और नियम 6 के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य प्रवर्गों के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, साक्षात्कार के लिये उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को बुलायेंगी जितने इस सम्बन्ध में समिति द्वारा निर्धारित मानक तक आ पाये हों ।

(4) चयन समिति अभ्यर्थियों की योग्यता के क्रम में जैसा कि साक्षात्कार में प्राप्त किये गये अंकों से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगी । सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से अधिक नहीं) होगी ।

भाग—6

नियुक्ति परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

16—(1) मौलिक रिक्तियां होने पर नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों को उस क्रम से लेकर जिसमें उनके नाम, यथास्थिति, नियम 15 के अधीन तैयार की गयी सूची में हो, नियुक्तियां करेगी । नियुक्ति

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अस्थायी और स्थानापन्न रिक्तियों में भी उप नियम (1) में निर्दिष्ट सूचियों से नियुक्तियां कर सकता है। यदि इन सूचियों का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के लिये पात्र व्यक्तियों में से ऐसी रिक्तियों में तदर्थ आधार पर नियुक्तियां कर सकता है। ऐसी नियुक्तियां एक वर्ष से अनधिक की अवधि के लिये या इस नियमावली के अधीन आगामी चयन के किये जाने तक, इनमें जो भी पूर्ववर्ती हो, की जायगी।

परिवीक्षा

17—(1) किसी पद पर या सेवा में किसी मौलिक रिक्ति में या उस पर नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायगा जब तक अवधि बढ़ायी जाये।

(3) यदि परिवीक्षा-अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसकी सेवायें उप नियम (3) के अधीन समाप्त की जाये, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

प्रशिक्षण

18—पंचायत सेवक के पद पर नियुक्त व्यक्ति को सरकार द्वारा संचालित किसी प्रशिक्षण केन्द्र पर छः मास का प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

स्थायीकरण

19—किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायगा, यदि

(क) उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक बताया गया हो,

(ख) उसने सफलतापूर्वक विहित प्रशिक्षण, यदि कोई हो, पूरा कर लिया हो;

(ग) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी गयी हो, और

(घ) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाये कि वह स्थायीकरण के लिये अन्यथा उपयुक्त है।

ज्येष्ठता

20—सेवा में ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति के दिनांक से और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्ति किये जायें, तो उस क्रम से, जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गये हों, अवधारित की जायगी :

परन्तु व्यक्तियों की पारस्परिक ज्येष्ठता वही होगी जो चयन के समय अवधारित की गयी हो।

टिप्पणी—सीधी भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है, यदि किसी रिक्त पद का उसे प्रस्ताव किये जाने पर वह विधिमान्य कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहे। कारणों की विधिमान्यता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।

भाग सात—वेतन इत्यादि

वेतनमान

21—(1) सेवा में पदों पर चाहे, मौलिक या स्थानापन्न रूप से या स्थायी आधार पर, नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जो सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाये।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय सेवा में पद का वेतनमान रु० 175–3–205 द० रो० 4–225 द० रो० 5–250 होगा, परन्तु संवर्ग के 20 प्रतिशत पदों का वेतनमान 195–3–225 द० रो०–4–245 द० रो०–6–275 रु० होगा।

परिवीक्षा अवधि, में वेतन

22—फण्डामेन्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को समयमान में उसकी प्रथम वेतन वृद्धि तभी दी जायगी जब उसने एक वर्ष की सन्तोषप्रद सेवा पूरी कर ली हो और प्रशिक्षण जहां विहित हो, सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो और द्वितीय वेतन-वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसका कार्य तथा आचरण सन्तोषजनक पाया गया हो :

परन्तु यदि सन्तोष प्रदान न करने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन-वृद्धि के लिये तब तक नहीं की जायगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें।

23—किसी व्यक्ति को प्रथम दक्षता रोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी जब तक उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक न पाया जाय और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय। दक्षता रोक पार करने का मानदण्ड

(2) द्वितीय दक्षता रोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि उसने धीरतया तथा विशिष्ट योग्यता से कार्य न किया हो और सहायक विकास अधिकारी (पंचायत और समाज शिक्षा) के पद पर पदोन्नति के लिये पर्याप्त ज्ञान और अनुभव न प्राप्त कर लिया हो और उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक न पाया गया हो और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी गयी हो।

भाग आठ—अन्य उपबन्ध

24—सेवा में पदों पर लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायगा। अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा। पक्ष समर्थन

25—ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेश के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्ति व्यक्ति राज्य के कार्य कलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगे। अन्य विषयों का विनियमन

26—जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त किसी व्यक्ति की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा, उस निचम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है। सेवा की शर्तों में शिथिलता

आज्ञा से,
प्रकाश चन्द्र सक्सेना,
आयुक्त एवं सचिव।

प्रतिलिपि
एपैन्डिक्स—"ए"
उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग (4)

संख्या 43/90-66—नियुक्ति—4
लखनऊ, 18 जुलाई, 1972

कार्यालय ज्ञाप

राज्याधीन सेवाओं की सीधी भर्ती में विभिन्न वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये शासन द्वारा समय-समय पर आरक्षण प्रदान किया गया है। अनुसूचित जातियों के लिये समस्त सेवाओं में 18 प्रतिशत का आरक्षण किया गया है जिसे वर्ग—3 की लिपिक वर्गीय तथा वर्ग-4 की सेवाओं में बढ़ाकर तब तक के लिये क्रमशः 25 तथा 45 प्रतिशत कर दिया गया है जब तक कि इन सेवाओं में उनका 18 प्रतिशत का कोटा पूरा न हो जाये अनुसूचित जन-जातियों के लिये समस्त सेवाओं में 2 प्रतिशत सेना सेवा से विमुक्त इमर्जेन्सी कमीशन्ड/शट सर्विस कमीशन्ड अफसरों के लिये वर्ग—2 की ऐसी अप्राविधिक सेवाओं में जिनमें प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भर्ती होती है 20 प्रतिशत सेना सेवा में भर्ती हुए ग्रेजुएट डाक्टरों तथा इंजीनियरों के लिये मेडिकल तथा इंजीनियरिंग सेवाओं में 50 प्रतिशत का आरक्षण मौजूद है। इसके अतिरिक्त राज्याधीन सेवाओं में सेना सेवा से विमुक्त कर्मचारियों को वर्ग 3 और वर्ग 4 की सेवाओं में, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के आश्रितों तथा आम व्यक्तियों (फिजिकल हैन्डीकोट) के लिये आरक्षण के और प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। कुछ समय पहले उच्चतम न्यायालय द्वारा एक मामले में फैसला देते हुए यह मत भी व्यक्त किया गया है कि किसी भी सेवा में 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण संविधान के उपबन्धों के विपरीत होगा। अतः आरक्षण संबंधी समस्त प्रश्न पर शासन द्वारा पुनर्विचार किया गया है तथा निम्नलिखित निर्णय किये गये हैं।

(1) किसी भी सेवा में सीधी भर्ती में अग्रेनीत (Carried Forward) आरक्षित रिक्तियों को, यदि कोई हो, सम्मिलित करते हुए कुल 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण न रहेगा।

(2) समस्त सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिये क्रमशः 18 तथा 2 प्रतिशत का आरक्षण होगा किन्तु वर्ग 3 की लिपिक वर्गीय तथा वर्ग 4 की सेवाओं में अनुसूचित जातियों के लिए क्रमशः 25 तथा 36 प्रतिशत आरक्षण तब तक रहेगा जब तक कि उनका इन सेवाओं में 18 प्रतिशत कोटा पूरा न हो जाये।

(3) वर्ग–2 की ऐसी अप्राविधिक सेवाओं में जिनमें प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भर्ती होती है (1) सेना के विकलांग आफिसरों तथा इमर्जेन्सी कमीशन्ड/शट सर्विस कमीशन्ड आफिसरों के लिये तथा (2) स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के आश्रितों के लिये दस-दस प्रतिशत का आरक्षण होगा।

(4) राज्याधीन मेडिकल तथा इन्जीनियरिंग सेवाओं में—(1) सेना से विमुक्त ग्रेजुएट डाक्टरों तथा ग्रेजुएट इंजीनियरों के लिये, और (2) स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के आश्रितों प्रत्येक के लिये 12½ प्रतिशत का आरक्षण होगा।

(5) वर्ग–3 की समस्त सेवाओं में—(1) सेना के विकलांग कर्मचारियों, तथा (2) स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के आश्रितों प्रत्येक के लिए दस प्रतिशत तथा वर्ग–4 की सेवाओं में प्रत्येक के लिये 5 प्रतिशत का आरक्षण रहेगा।

(6) राज्याधीन समस्त सेवाओं में आम व्यक्तियों (फिजिकल–हैण्डीकैप्ट) के लिये 2 प्रतिशत का आरक्षण रहेगा।

2—आप से निवेदन है कि सेवाओं में आरक्षण संबंधी नीति का तद्नुसार अनुसरण किया जाये।

अयोध्या प्रसाद दीक्षित,
सचिव।

एपैन्डिक्स–"ए"

उत्तर प्रदेश शासन

नियुक्ति अनुभाग–4

संख्या 43/90-66–नियुक्ति–4

लखनऊ, 17 नवम्बर, 1972

कार्यालय-ज्ञाप

राज्याधीन सेवाओं की सीधी भर्ती में विभिन्न वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 43/90-66–नियुक्ति–4, दिनांक 18 जुलाई, 1972 द्वारा जारी किये गये आदेशों में आइटम (5) के अन्तर्गत वर्ग 3 व 4 की समस्त सेवाओं में आरक्षण के वर्तमान प्राविधान के स्थान पर निम्नांकित पढ़ा जाय:—

(5) वर्ग 3 की समस्त सेवाओं में—(1) सेना के विकलांग एवं सेवा से वियोजित कर्मचारी/कर्मचारियों तथा (2) स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के आश्रितों प्रत्येक के लिए दस प्रतिशत तथा वर्ग 4 की सेवाओं में प्रत्येक के लिये 5 प्रतिशत का आरक्षण रहेगा।

गौरी शंकर सिंघल,
उप सचिव।

एपेन्डिक्स "ए"
संख्या 65/2-69-रा0 एकी 0

प्रेषक,

श्री सतीश चन्द्र
मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में

समस्त विभागाध्यक्ष तथा अन्य प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ, दिनांक 8 मार्च, 1973

विषय:—पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के लिये आरक्षण ।

महोदय,

ट्रीय
ीकरण
ाग-(1)

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के अधीन सीधी भर्ती द्वारा अथवा विभागीय अभ्यर्थियों तक सीमित प्रतियोगितात्मक परीक्षा द्वारा पदोन्नति से भरे जाने वाले समस्त पदों/सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिये क्रमश: 18 प्रतिशत तथा 2 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया गया है, किन्तु चयन द्वारा पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों/सेवाओं में उक्त जातियों के लिए कोई आरक्षण उपलब्ध नहीं है । राज्यपाल ने अब आदेश दिये हैं कि —

(1) राज्याधीन पदों/सेवाओं में पूर्ण पात्रता के क्षेत्र में श्रेष्ठता के आधार पर की जाने वाली पदोन्नति के समस्त मामलों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिये क्रमश: 18 प्रतिशत और 2 प्रतिशत का आरक्षण किया जायगा ।

(2) अनुपयुक्त को स्वीकृत करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर की जाने वाली पदोन्नति के मामलों में आरक्षण की व्यवस्था लागू नहीं की जा सकती क्योंकि इस आधार के अन्तर्गत जो व्यक्ति ज्येष्ठ हैं तथा कार्य तथा आचरण के विचार से अनुपयुक्त हैं वह चुना नहीं जायगा ।

2—यदि आरक्षित रिक्तियों के लिये चयन के अवसर पर अनुसूचित जाति और/अथवा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों में से उपयुक्त अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में नहीं मिलते और ऐसी रिक्तियों को कार्यवृद्धि से भरा जाना आवश्यक ही समझा जाता है तो उनमें केवल तदर्थ आधार पर अस्थाई नियुक्तियां कर ली जायें तथा नियुक्ति के आदेशों में यह स्पष्ट भी कर दिया जाये । साथ ही उन रिक्तियों को चयन के अनुवर्ती अवसर पर अग्रेनीत (केरी फारवर्ड) किया जाना चाहिये, पर प्रतिबन्ध यह होगा कि भर्ती के वर्ष में आरम्भिक रिक्तियां तथा अग्रेनीत आरक्षित रिक्तियां कुल मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 45 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिये । यदि रिक्तियां केवल दो ही हों, तो उसमें से एक को आरक्षित रिक्ति समझा जा सकता है । किन्तु यदि रिक्ति केवल एक ही हो तो उसे आरक्षित (अनुरिज्वर्ड) रिक्ति समझना चाहिए ।

45 प्रतिशत से अधिक अधिशेष (सरप्लस) की चयन के अनुवर्ती अवसर पर अग्रेनीत किया जायगा किन्तु शर्त यह है कि अग्रेनीत की गयी विशेष रिक्तियां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सम्बन्ध में क्रमश: दो वर्षों और पांच वर्षों से अधिक पुरानी होने के कारण काल-बाधित (टाइम बार्ड) न होने पावें ।

3—पदोन्नति के समय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को उपयुक्तता अन्य सामान्य अभ्यर्थियों के साथ ही आंकी जायगी, अर्थात् उपयुक्तता का माप-दण्ड सभी अभ्यर्थियों के लिए एक सा होगा जो अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी निर्धारित न्यूनतम माप-दंड की योग्यता रखते हैं, उन्हें आरक्षण की सीमा तक चुन लिया जायगा ।

4—जब उपरोक्त प्रकार से आरक्षित रिक्तियों में पहले पहल अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन जातियों के अभ्यर्थियों की स्थानापन्न या अस्थायी रूप से पदोन्नति की जायगी तो उनमें स्थायीकरण सामान्य नियम के अन्तर्गत होगा। आरक्षण का सिद्धांत स्थानापन्न या अस्थाई रूप से पदोन्नत किये गये लोगों का अस्थायीकरण करते समय दोबारा लागू नहीं होगा ।

5—राज्य सरकार द्वारा अभी तक अपनायी गयी प्रक्रिया के अनुसार वर्ग–1 और वर्ग–2 की राज्य स्तरीय सेवाओं में नियुक्तियों के सभी मामले सम्बन्धित मंत्रियों के लिए प्रस्तुत किये जाते हैं । भविष्य में वर्ग–2 की अन्य सेवाओं के साथ-साथ वर्ग–3 और वर्ग 4 की सेवाओं में, जिनमें नियुक्तियां राज्यपाल से भिन्न प्राधिकारी द्वारा की जाती हैं, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के अतिक्रमण (सुपरसेशन) के मामले भी प्रशासनिक अनुभाग द्वारा संबंधित मंत्रो की सूचनार्थ प्रस्तुत किये जायेंगे । अत: ऐसे सभी मामले विभागाध्यक्षों द्वारा संबंधित प्रशासनिक अनुभागों को एक मास के अन्दर भेज देने चाहिये ।

6—मुझे आप से यह अनुरोध करना है कि आप अपने अधीनस्थ नियुक्ति प्राधिकारियों की शासन के उपर्युक्त निर्णयों को सक्रिय ढंग से पालन करने के आदेश अविलम्ब जारी कर दें ।

7—यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होंगे ।

भवदीय,
सतीश चन्द्र,
मुख्य सचिव ।

एपेन्डिक्स–"ए"

संख्या 15/5-1973–रा0 एकी0

प्रेषक,

श्री भैरवदत्त सनवाल

मुख्य सचिव

उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा,

प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ, दिनांक 20 मार्च, 1974 ई0 ।

विषय—अनुपयुक्त को अस्वीकृत करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर की जाने वाली पदोन्नति के मामलों में अनुसूचित जातियों/जन जातियों के लिए आरक्षण ।

महोदय,

राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के अधीन सेवाओं/पदों में पूर्ण पात्रता के क्षेत्र में श्रेष्ठता के आधार पर की जाने वाली पदोन्नति के समस्त मामलों में शासकीय आदेश संख्या 65/2-69—रा0एकी0, दिनांक 8 मार्च, 1973 द्वारा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिये क्रमशः 18 प्रतिशत और 2 प्रतिशत के आरक्षण की व्यवस्था की गई थी । शासन ने मामले पर पुनः गम्भीरतापूर्वक विचार करने के पश्चात् अब यह निर्णय लिया है कि अनुपयुक्त को अस्वीकृत करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर की जाने वाली पदोन्नतियों में भी उक्त जातियों के लिए क्रमशः 18 प्रतिशत तथा 2 प्रतिशत का आरक्षण रहेगा । यह आरक्षण केवल ऐसी सेवाओं/पदों में होगा जिसमें सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की व्यवस्था 50 प्रतिशत से अधिक न हो । अतएव शासकीय आदेश संख्या 65/2-69–रा0 एकी0, दिनांक 8 मार्च, 1973 के पैरा 1 का पद (2) तद्नुसार संशोधित समझा जाये । आरक्षण की इन व्यवस्थाओं के साथ नियमों एवं आदेशों में दिये गये प्राविधानों के अनुसार पदोन्नति की जायगी ।

2—जो अभ्यर्थी ज्येष्ठता पर आधारित उक्त पदोन्नति के लिये सर्वथा पात्र एवं अर्ह होगा तथा अनुपयुक्त न माना जायगा उसको आरक्षण की सीमा तक चुन लिया जायगा । विभाग में होने वाली कुल रिक्तियों की संख्या सामान्य अभ्यर्थी तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के लिये आरक्षण के अनुसार निर्धारित की जायगी । तदुपरान्त निर्धारित संख्या तक सामान्य अभ्यर्थी, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों का चुनाव अलग-अलग बनाई गई उनकी सूचियों के अनुपयुक्त छोड़ते हुए ज्येष्ठता के आधार पर किया जायगा । चुने हुए अभ्यर्थियों के नाम उनके मूल पद पर पारस्परिक ज्येष्ठता (inter-se-seniority) के अनुसार व्यवस्थित किये जायेंगे, उसके बाद तीनों प्रकार के अभ्यर्थियों की सूची मिला ली जायगी और अभ्यर्थियों के नाम उनके मूल पद पर पारस्परिक ज्येष्ठता (inter-se-seniority) के अनुसार पुनः व्यवस्थित कर लिये जायेंगे और रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नति इसी क्रम में की जायगी ।

3—यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू समझे जायेंगे । इन आदेशों के अनुसार संबंधित सेवा नियमों में आवश्यक संशोधन की कार्यवाही कृपया शीघ्र की जाय ।

भवदीय,

भैरव दत्त सनवाल,

मुख्य सचिव

एपेन्डिक्स 'ए'

संख्या 15/5–1973 रा0 एकी0

प्रेषक,

श्री भैरव दत्त सनवाल,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ, दिनांक 27 दिसम्बर, 1974

विषय—अनुपयुक्त को अस्वीकृत करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर की जाने वाली पदोन्नति के मामलों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण।

महोदय,

राष्ट्रीय एकीकरण विभाग

मुझे उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या 15/5–1973–रा0 एकी0 दिनांक 20 मार्च, 1974 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करने का निदेश हुआ है जिसमें यह कहा गया था कि अनुपयुक्त को अस्वीकृत करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर की जाने वाली पदोन्नतियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के लिये क्रमशः 18 प्रतिशत तथा 2 प्रतिशत का आरक्षण केवल ऐसी सेवाओं/पदों में होगा जिनमें सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की व्यवस्था 50 प्रतिशत से अधिक न हो। इस सम्बन्ध में पुर्नविचार के बाद शासन ने यह प्रतिबन्ध "यह आरक्षण केवल ऐसी सेवाओं/पदों में होगा जिसमें सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की व्यवस्था 50 प्रतिशत से अधिक न हों" हटा दिया है। उक्त शासनादेश तद्नुसार संशोधित समझा जायगा और अब इन जातियों को भी सेवाओं/पदों में पदोन्नति के मामले में आरक्षण प्राप्त होगा।

2—यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होंगे। इन आदेशों के अनुसार संबंधित सेवा नियमों में आवश्यक संशोधन की कार्यवाही कृपया शीघ्र की जाये।

भवदीय,
भैरवदत्त सनवाल,
मुख्य सचिव।

एपैन्डिक्स "ए"

उत्तर प्रदेश शासन

नियुक्ति अनुभाग–4

संख्या बी–52/दो–4/75 नियुक्ति–4

लखनऊ, 11 फरवरी, 1976

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि नियुक्ति अनुभाग–4 के शासनादेश संख्या 33/3–1973–नियुक्ति 4, दिनांक 7, नवम्बर 1974 में यह निदेश दिये गये हैं कि वर्ग–3 की सेवाओं में जो लोक सेवा आयोग के कार्य क्षेत्र के बाहर ह, जब तक अनुसूचित जातियों के लिये प्रतिनिधित्व 9 प्रतिशत नहीं हो जाता, तब तक उनके लिये 45 प्रतिशत का आरक्षण रहेगा। इसी प्रकार अनुसूचित जन-जातियों के लिये उक्त सेवाओं में जब तक 2 प्रतिशत का आरक्षण पूरा नहीं हो जाता तब तक उनके लिए 5 प्रतिशत का आरक्षण रहेगा। इन आदेशों के अन्तर्गत अन्य वर्गों के लिये पूर्व में किये गये आरक्षण के प्राविधान स्थगित रहेंगे। तब तक कि अनुसूचित जातियों के लिये 9 प्रतिशत तथा अनुसूचित जन-जातियों के लिए 2 प्रतिशत का आरक्षण पूरा नहीं हो जाय।

2—शासन के कुशल खिलाड़ियों को भी राज्याधीन वर्ग–3 की सेवाओं में आरक्षण देने का निश्चय किया है। अतः यह फैसला किया गया है कि:—

(1) वर्ग–3 की सेवाओं में और पदों पर जो लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर हैं, वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों के लिये, निर्धारित फार्म में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे प्रतिशत का आरक्षण से सभी कार्यालयों

में होगा जहां अनुसूचित जातियों के लिये 9 प्रतिशत तथा अनुसूचित जन-जातियों के लिये 2 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व पूरा हो चुका है।

(2) कुशल खिलाड़ियों के लिये उक्त सेवाओं में अधिकतम आयु सीमा से पांच वर्ष की छूट रहेगी।

(3) वर्गीकृत खेलों के नाम अनुलग्नक "क" प्रमाण-पत्र देने के लिये प्राधिकृत अधिकारी का नाम अनुलग्नक "ख" तथा प्रमाण-पत्र फार्म अनुलग्नक "ग" में दिये गये हैं। निम्नलिखित वर्गों के खिलाड़ी कुशल समझे जायेंगे:—

(1) अनुलग्नक "क" पर दी गई सूची में वर्णित खेल/क्रीड़ा में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में किसी राज्य या अपने देश की ओर से भाग लेने वाले खिलाड़ी, जिन्होंने राष्ट्रीय प्रतियोगिता में दो वर्षों तक भाग लिया हो तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कम से कम एक वर्ष तक भाग लिया हो।

(2) अनुलग्नक "क" पर दी गयी सूची में किसी भी खेल/क्रीड़ा में अन्तर्विश्वविद्यालय स्पोर्ट्स बोर्ड द्वारा आयोजित अन्तर्विश्वविद्यालय टूर्नामेन्ट में अपने विश्वविद्यालय की ओर से तीन वर्षों तक भाग लेने वाले खिलाड़ी।

(3) अनुलग्नक "छ" पर दी गयी सूची के किसी भी खेल/क्रीड़ा में अखिल भारतीय स्कूल खेल कूद संघ द्वारा आयोजित स्कूलों की राष्ट्रीय क्रीड़ा/खेलों में राज्य की स्कूल टीम की ओर से तीन वर्षों तक भाग लेने वाले खिलाड़ी।

(4) यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होंगे।

आज्ञा से,
गुलाम हुसैन,
आयुक्त एवं सचिव।

एपेन्डिक्स "ए"

उत्तर प्रदेश शासन

कार्मिक अनुभाग–2

संख्या 43/90-66–कार्मिक–2

लखनऊ, 11 नवम्बर, 1975

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि नियुक्ति–4 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 43/90-66–नियुक्ति–4, दिनांक 18 जुलाई, 1972 में राज्याधीन समस्त सेवाओं की सीधी भर्ती में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अक्षम व्यक्तियों (फिजिकली हैन्डीकैप्ट) के लिये क्रमशः 18 प्रतिशत, 2 प्रतिशत तथा 2 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया गया है किन्तु स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों तथा सेना के विकलांग आफिसरों तथा इमर्जेन्सी कमीशन्ड/शार्ट सर्विस कमीशन्ड आफिसरों एवं सैन्य वियोजित कर्मचारियों के लिये केवल वर्ग–2, 3 तथा 4 में ही आरक्षण का प्राविधान है। इस बीच स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की ओर से शासन के समक्ष ऐसे प्रस्ताव आये हैं जिसमें मांग की गई है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जातियों के ही समान उनके आश्रितों को भी वर्ग–1 की सेवाओं की सीधी भर्ती में आरक्षण प्रदान किया जाये। शासन ने अब निर्णय लिया है कि:—

"राज्याधीन वर्ग–1 की सेवाओं की सीधी भर्ती में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों तथा सेना के विकलांग आफिसरों तथा इमरजेंसी कमीशन्ड/शार्ट सर्विस कमीशन्ड आफिसरों, प्रत्येक के लिये दस–दस प्रतिशत का आरक्षण रहेगा" इस प्रकार वर्ग–1 की सेवाओं की सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों पर आरक्षण की पूरी स्थिति निम्नवत् हो जायेगी:—

(1)	अनुसूचित जातियों के लिये	.. 18 प्रतिशत
(2)	अनुसूचित जन जातियों के लिये	.. 2 प्रतिशत
(3)	समाज के अक्षम व्यक्तियों के लिये	.. 2 प्रतिशत
(4)	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिए	.. 10 प्रतिशत
(5)	सेना के विकलांग आफिसरों तथा इमरजेन्सी कमीशन्ड/शार्ट सर्विस कमीशन्ड आफिसरों के लिए	.. 10 प्रतिशत
		12 प्रतिशत

2—आपसे निवेदन है कि सेवाओं में आरक्षण सम्बन्धी नीति पर तदनुसार अनुसरण किया जावे।

रमेश चन्द्र पन्त,
आयुक्त एवं सचिव।

APPENDIX 'B'

APPOINTMENT DEPARTMENT

No. O-2882/II-B—134-52

Dated Lucknow, November 26, 1952

Miscellaneous

IN exercise of the power conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, and in partial modification of the Order issued in notification no. 6969/II-B—42-42, dated December 7, 1944, the Governor of Uttar Pradesh is pleased to make the following general Rule regarding the age of recruitment of condidates of the Scheduled Castes to a non-gazetted service or post in connection with the affairs of Uttar Pradesh.

"Notwithstanding anything contained in any rule regarding the age of recruitment to any non-gazetted post or posts in a civil service in connection with the affairs of Uttar Pradesh, the maximum age limit shall, in the case of a candidate of the Scheduled Castes, be larger by 5 years than in the case of candidates not belonging to Scheduled Castes."

By order,
B. N. JHA,
Chief Secretary.

एपैन्डिक्स "बी"

संख्या 71/1-69-रा0ए0

प्रेषक,

श्री पूरन चन्द्र पाण्डे,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा अन्य प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,

लखनऊ, दिनांक 25 अप्रैल, 1970।

विषय—उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के राज्य सेवाओं में आरक्षण तथा राज्य सेवाओं/ पदों में भर्ती के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों के सदस्यों के समान सुविधायें प्रदान करना।

महोदय,

राष्ट्रीय एकीकरण विभाग।

मुझे आपका ध्यान इस विभाग के शासनादेश संख्या 65/1-69-रा0 एकी0, दिनांक 23 अक्तूबर, 1969 जो समस्त जिला अधिकारियों को सम्बोधित है और जिसकी प्रतिलिपि आपको प्रेषित की गई है, की ओर आकृष्ट कराते हुए निवेदन करने का आदेश हुआ है कि भारत का संविधान के अनुच्छेद 335 के अधीन अनुसूचित जन जातियों को केन्द्र अथवा प्रदेश की सेवाओं/पदों में भर्ती के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों के समान ही माना गया है। अतः श्री राज्यपाल ने यह निर्णय किया है कि इस आदेश के जारी होने के दिन से अनुसूचित जन जातियों के अभ्यर्थियों को वे सभी सुविधायें जो अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों को प्राप्त हैं, यथा (1) सेवाओं में आरक्षण (2) अधिकतम आयु सीमा में छूट, तथा (3) लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगात्मक परीक्षाओं के चयनों की फीस में छूट दी जाय।

2—भविष्य में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को राज्य सेवाओं/पदों में 2 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त रहेगा और भर्ती हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जायगी। लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगात्मक परीक्षाओं के सम्बन्ध में ली जाने वाली परीक्षा/साक्षात्कार की एक-तिहाई पर ली जाया करेगी।

3—आरक्षित रिक्तियों के लिये पर्याप्त संख्या में अनुसूचित जन जातियों के उपर्युक्त अभ्यर्थियों के प्राप्त न होने पर ऐसी रिक्तियों अनारक्षित रिक्तियों के समान समझाकर भर्ती उसी समान की जायगी किन्तु भर्ती के अनुवर्ती अवसरों पर अग्रनीत (carried forward) की जायगी। इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए पांच साल की अवधि तक उपलब्ध रक्खा जायगा। तत्पश्चात इन रिक्तियों को अनारक्षित समझा जायेगा।

4—मुझे आपसे यह अनुरोध करना है कि अपने अधीनस्थ नियुक्ति प्राधिकारी को उपयुक्त आदेश से अवगत करायें और उन्हें सही ढंग से पालन करने का निर्देश दें ताकि अनुसूचित जन-जातियों के अभ्यर्थियों को नियमानुसार सरकारी नौकरियों में निर्धारित स्थान मिल सके।

5—यह आदेश वित्त विभाग के अ0 शा0 संख्या ई0-5/1-400/दस, दिनांक 3 अप्रैल, 1970 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
पूरन चन्द पान्डे,
सचिव।

एपन्डिक्स "बी"

संख्या 6/2-72 नियुक्ति-4,

प्रेषक,

अयोध्या प्रसाद दीक्षित,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ, दिनांक 14 अगस्त, 1972 ।

विषय:—स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को राज्याधीन सेवाओं में तथा पदों पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट ।

महोदय,

मुझे आप का ध्यान पार्श्वांकित शासनादेशों की ओर आकर्षित करने का निदेश हुआ है कि जिसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा उनके आश्रितों को राज्याधीन सेवाओं में तथा पदों पर भर्ती के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से 4 वर्ष तक की छूट प्रदान किये जाने के आदेश जारी किये थे । इन आदेशों का अतिक्रमण करते हुए राज्यपाल ने अब यह निर्णय लिया है कि राज्याधीन समस्त सेवाओं में तथा पदों पर भर्ती के लिये स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए सामान्य अभ्यर्थियों की अपेक्षा निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष अधिक होगी ।

नियुक्ति अनुभाग-4

1—शासनादेश सं0 ओ0 3365/दो-1003-1947, दिनांक 1 नवम्बर, 1947 ।
2—कार्यालय ज्ञाप संख्या 4809-दो-दो-245-1958, दिनांक 31 जनवरी, 1957 ।

भवदीय,
अयोध्या प्रसाद दीक्षित,
सचिव ।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitition, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1693-K/XXXIII-1—121-72, dated May 5, 1978 :

No. 1693 K/XXXIII-I—121-72

Dated Lucknow, May 5, 1978

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, and in supersession of all existing Rules and Orders on the subject, the Governor is pleased to make the following Rules regulating recruitment and conditions of service of persons appointed to the Uttar Pradesh Panchayat Sewak Service.

THE UTTAR PRADESH PANCHAYAT SEWA SERVICE RULES, 1978

PART I—GENERAL

Short title and commencement.

1. (1) These rules may be called "The Uttar Pradesh Panchayat Sewak Service Rules, 1977".

(2) They shall come into force at once.

Status of service.

2. The Uttar Pradesh Panchayat Sewak Service is a non-Gazetted Service comprising Group 'D' posts.

Definition.

3. In these Rules unless there is anything repugnant in the subject or context:

(*a*) 'Appointing Authority' means District Panchayat Raj Officer;

(*b*) 'Citizen of India' means a person who is or is deemed to be a citizen of India under Part II of the Constitution;

(*c*) 'Constitution' means the Constitution of India;

(*d*) 'Government' means the State Government of Uttar Pradesh.

(*e*) 'Governor' means the Governor of Uttar Pradesh;

(*f*) 'member of the service' means a person appointed in a substantive capacity under these Rules or the Rules orders inforce prior to the commencement of these Rules to a post in the cadre of serivce;

(*g*) 'Service' means the Uttar Pradesh Panchayat Sewak Service.

PART II—CADRE

Cadre of service.

4. (1) The strength of the service shall be such as may be determined by the Governor from time to time.

(2) The strength of the service shall, until orders varying the same are passed under sub-rule (1), be 8792:

Provided that—

(1) the appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post.

(2) the Governor may create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper.

PART III—RECRUITMENT

Source of Recruitment.

5. Recruitment in the service shall be made direct in the manner laid down in rule 15.

Reservation

6. Reservations for the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories shall be in accordance with the orders of the Government in force at the time of the recruitment.

NOTE—Copies of the Government Orders in force at the time of commencement of these Rules are given in Appendix 'A'.

PART IV—QUALIFICATIONS

Nationality

7. A candidate for recruitment to a post in the service must be:

(*a*) a citizen of India; or

(*b*) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India; or

(*c*) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Ceylon or any of the East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanjanyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India :

Provided that a candidate belonging to category (*b*) or (*c*) above must be a person in whose favour certificate of eligibility has been issued by the State Government :

Provided further that a candidate belonging to category (*b*) will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Deputy Inspector General of Police, Intelligenc Branch, Uttar Pradesh :

Provided also that if a candidate belongs to category (*c*) above, no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and the retention of such a candidate in service beyond a period of one year, shall be subject to his acquiring Indian Citizenship.

NOTE—A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused, may be admitted to an examination or interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.

Academic Qualification,

8. A candidate for direct recruitment to the post of Panchayat Sewak must have passed Intermediate examination of the Board of High School and Intermediate Examination or an examination recognised as equivalent thereto.

Preferential Qualification.

9. A candidate—

(i) who has served in the Territorial Army for a minimum period of two years, or

(ii) obtained a 'B' certificate of National Cadet Crops,

(iii) who has rural background,

shall other things being equal, be given preference in the matter of direct recruitment.

Age

10. A candidate for recruitment must have attained the age of 18 years and must not have attained the age of more than 27 years on January 1 of the year in which recruitment is to be made, if the posts are advertised during the period January, 1 to June, 30 and on July, 1 if the posts are advertised during the period July, 1 to Decemer, 31 :

Provided that the upper-age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories as may be notified by the Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified.

NOTE—Copies of the Government Orders regarding relaxation in age are given in Appendix 'B'.

Character

11. The character of a candidate for direct recruitment to a post in the service must be such as to render him suitable in all respects for employment in Goverment service. The appointing authority shall satisfy itself on this point.

NOTE—Persons dismissed by the Union Government or a State Governmen or by a local Authority or a Corporation or Body, owned or controlled by the Union Government or a State Government shall be ineligible for appointment to any post in the service. Persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.

Marital Status

12. A male candidate who has more than one wife living or a female candidate who has married a man already having a wife living shall not be eligible for appointment to a post in the service :

Provided that the Governor may, if satisfied that there exist special grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

Physical Fitness

13. No candidate shall be appointed to a post unless he be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment he shall be reqiured to produce the medical certificate of fitness in accordance with the rules framed under Fundamental Rule 10 and contained in Chapter III of the Financial Hand Book, Volume II, Parts II to IV.

PART V—PROCEDURE FOR RECRUITMENT

Determination of Vacancies.

14. The appointing authority shall determine and intimate the Employment Exchange the number of vacancies to be filled during the course of the years as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories under rule 6.

Procedure for Recruitment.

15. (1) Applications for being considered for selection shall be given in the prescribed form.

(2) The selection of candidate for all the posts shall be made at the Headquarters of each district of the State by a Selection Committee consisting of the following :

(i) The Additional District Magistrate (D)/District Development Officer.

(ii) An Officer or member of the Zila Parishad.

(iii) District Panchayat Raj Officer.

NOTE—The Chairman of the Committee shall be A.D.M. (D)/D.D.O. The District Panchayat Raj Officer will be the Secretary of the Committee.

(3) The Selection Committee shall scrutinize the applications and having regard to the need for securing due representation of the candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other categories in accordance with rule 6 call for interview such number of candidates as have come up to the standard fixed by the Committee in this respect.

(4) The Selection Committee shall prepare a list of candidates in order to merit as disclosed by the marks obtained in the interview. The number of the names in the list shall be larger (but no larger by more than 25 per cent) than the number of the vacancies.

PART VI—APPOINTMENT, PROBATION, CONFIRMATION AND SENIORITY

Appointment.

16. (1) On the occurrence of substantive vacancies, the appointing authority shall make appointments by taking candidates in the order in which they stand in the list prepared under rule 15.

(2) The appointing authority may make appointments in temporary and officiating vacancies also from the lists, referred to in the sub rule (1). If no candidate borne on these lists is available, he may make appointments on an *ad-hoc* basis in such vacancies from persons eligible for appointment under these rules. Such appointments shall be made for a period not exceeding one year or till next selection under these rules, whichever be later.

Probation

17. (1) A person on appointment to a post or service in or against a substantive vacancy shall be placed on probation for a period of two years.

(2) The appointing authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date upto which the extension is granted.

(3) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, his services may be dispensed with.

(4) A probationer whose services are dispensed with under sub-rule (3) shall not be entitled to any compensation.

Training

18. A person appointed to the post of Panchayat Sewak shall have to undergo six months training at a training centre run by the Government.

Confirmation

19. A probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation if :

(*a*) his work and conduct is reported to be satisfactory ;

(*b*) successfully undergone the prescribed training, if any ;

(*c*) his integrity is certified ; and

(*d*) the appointing authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.

Seniority

20. Senority in the service shall be determined from the date of substantive appointment and if two or more persons are appointed together from the order in which their names are arranged in the appointment order :

Provided that the inter-se-seniority of the persons shall be same as determined at the time of selection.

NOTE—A candidate recruited directly may lose his seniority if he fails to join without valid reasons when vacancy is offered to him. The decision of the appointing authority as to the validity of the reasons will be final,

PART VII—PAY ETC.

Scale of Pay

21. (1) The scales of pay admissible to persons appointed to the posts in the service, whether in a substantive or officiating capacity or as a temporary measure, shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The scales of pay of the post in service at the time of the commencement of these rules, will be Rs. 175—3—205—E.B.—4—225—E.B.—5—250, provided that the 20 per cent of the posts of the cadre shall be in the scale of Rs. 195—3—225—E.B.—4—245—E.B.—6—275.

Pay during probatton.

22. Notwithstanding any provision in the Fundamental Rules, to the contrary, a person on probation, shall be allowed his first increment in the time scale when he has completed one year of satisfactory service, has successfully undergone training, where prescribed, and second increment after two years serivce when he has completed the probationery period and his work and conduct is found to be satisfactory :

Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction such extensions shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

Criterion for Crossing efficiency bar.

23. No person shall be allowed to cross :

(i) the first efficiency bar unless his work and conduct is found to be satisfactory and unless his integrity is certified ;

(ii) the second efficiency bar unless he has worked steadily and with distinct ability and has acquired sufficient knowledge and experience for promotion to the post of Assistant Development Officer (Panchayat and Social Education) and his work and conduct is found to be satisfactory and unless his integrity is certified.

PART—VIII OTHER PROVISIONS

24. No recommendations, either written or oral, other than those required under the rules applicable to the posts in service will be taken into consideration, Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.

25. In regard to the matters not specifically covered by these rules or by special orders, persons appointed to the service shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.

Relaxation from the conditions of service.

26. Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of a person appointed to the service caused undue hardship in any particular case, it may, not with standing any thing contained in the rules applicable to the caes, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.

By order,
B. N. JHA,
Mukhya Sachiv.

पी० एस० यू० पी०—[illegible] पी० 1 सा० पंचायतीराज—20-5-78—(617)—1978—2,000 (मे० [illegible])